Order No. MERC/FAA/2023/APPEAL/ 07 of 2023/0375 **Date : 20.07.2023**

Date of RTI Application filed : 11.05.2023
Date of Reply of PIO : 22.05.2023
Date of receipt of First Appeal : 16.06.2023
Date of Order of First Appeal : 20.07.2023

BEFORE THE APPELLLATE AUTHORIY
(Under the Right to Information Act, 2005)
Maharashtra Electricity Regulatory Commission, Mumbai

Appeal No. 07 of 2023

Mr. Ramjan Shaikh ..... **Appellant**

Vs.

PIO, MERC, Mumbai ..... **Respondent**

In exercise of the power, conferred upon the Appellate Authority by Section 19 (6) of Right to Information Act, 2005, the Appellate Authority makes the following decision:

Facts of the Appeal

1) The Appellant had filed an application dated 12.06.2023, under the Right to Information Act, 2005, (hereinafter referred to as "RTI Act"). The application received at the Commission's Office on 16.06.2023. The Respondent/PIO provided the information to the Appellant vide letter dated 22.05.2023. Accordingly, the Appellant filed the First Appeal on 12.06.05.2023 (First Appeal received to the Commission's Office on 16.06.2023).

2) Before passing an Order, the First Appellate Authority has given Appellant an opportunity of personal hearing on 12.07.2023 by serving upon him a notice of hearing dated 03.07.2023. The Appellant and PIO were present in the hearing and presented oral submission.

3) I have carefully considered the application, the response and the Appeal and find that the matter can be decided based on the material available on record.

4) **Upon perusal of the Appellant's request for information as made through his application, was as follows:**

3A. MERC (Maharashtra Electricity Regulatory Commission) इसका काम क्या है, महाराष्ट्र सरकार के किस विभाग की ये निगरानी करने के लिये यह विभाग को बनाया गया है कृपया पूरा ब्यौरा दिया जाए।

3B. पूरे मुंबई महानगर में कितनी इलेक्ट्रीक कंपनीया मुंबई करोंको लाईट सप्लाय करती है। इनको लाईट सप्लाय करने का मान्यता, लायसन्स या जो भी हो कौन सरकार का विभाग देता है, कृपया पूरी जानकारी बताये और वहाँ का पता दिया जाए।

3C. पूरे मुंबई महानगर में कितनी इलेक्ट्रीक कंपनीया मुंबई करोंको लाईट सप्लाय करती है। इनको लाईट सप्लाय करने का मान्यता, लायसन्स या जो भी हो कौन सरकार का विभाग देता है, कृपया पूरी जानकारी बताये और वहाँ का पता दिया जाए।

3D. एम.एस.डी.सी.एल., अदानी, टाटा या बीएसटी जो लाईट सप्लाय कर रही है मुंबई में इस कंपनीयों के जन सूचना अधिकारी एवं कम्प्लेंट अधिकारीयों के नाम, पत्ता बताया जाए ताकी हम डायरेक्ट उनको शिकायत कर सकू और जानकारी ले सकू।

5) **<u>The response provided by PIO to the above queries are as follows:</u>**

<u>Reply to Pont No.3A-</u>

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के संकेतस्थळ www.merc.gov.in *पर '**वार्षिक अहवाल**' अंतर्गत इस संबंध में जानकारी उपलब्ध है।*

<u>Reply to Pont No.3B-</u>

मुंबई व मुंबई उपनगर में अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि. (वितरण), टाटा पॉवर कंपनी लि. (वितरण), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (भांडूप व मुलुंड) और बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम इन चार परवानाधारक कंपनियों के जरिए बिजली की सप्लाई की जाती है।

- *महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. और बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम यह कंपनी विद्युत अधिनियम, २००३ के अधिन मानीव वितरण परवानाधारक है।*
- *टाटा पॉवर कंपनी लि. (वितरण) कंपनी को दि.१४.०८.२०१४ के प्रकरण क्र. ९०/२०१४ इस आदेश के अनुसार वितरण परवाना दिया है।*

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दि.११.०८.२०११ के प्रकरण क्र. ६५/२०११ आदेश के अनुसार वितरण परवाना दिया है। यह परवाना रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी से अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि. (वितरण) को दि.२९.०९.२०१८ के अधिसूचना तहत प्रदान किया गया है।

Reply to Pont No.3C-

यह जानकारी इस कार्यालय से संबंधीत नहीं है।

Reply to Pont No.3D-

इस की जानकारी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के संकेतस्थळ www.merc.gov.in पर 'CGRF & EO' इस टॅब अंतर्गत उपलब्ध है। और परवानाधारक कंपनी के संकेतस्थळ पर भी उपलब्ध है।

6) **Reason for filing an Appeal:-**

Information provided by the PIO is incomplete/not satisfied.

7) **The Grounds of the Appeal:**

3.A- मा. माहिती अधिकारी महोदय ने मुझे माँगी गई जानकारी कि वेबसाईट का पता दिया । तो अपिलीय अधिकारी मोहोदय आपको हम अपने बारेमें बता रहा हूँ ।

हम कोई पढा लिखा सुप्रिम कोर्ट , हायकोर्ट का वकिल नही हूँ । हमारे गाँव मे स्टेशन है प्लॅटफॉर्म नही है । हमारे गाँव मे स्कुल था, हम झाड के निचे अपने घर से गोनी लाकर उसपर बैठता था । तो वेबसाईट क्या है हमे नही पता कृपया मुझे वेब साईटसे प्रींटाउट निकालकर देने की कृपा करे ।

3.B- इसमे जो जानकारी माँगा हूँ, उसमें लायसन्स कोन डिपार्टमेंट देता है। उस डिपार्टमेंट का पता पुछा हूँ ये बताने कि कृपा करे ।

3.C- फिर वही रटा रटाया जवाब दे दिये, जानकारी माँगी गई है वही जानकारी दो । क्योंकी हम कोई सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट का वकिल नही हूँ, जितनी जानकारी माँगा गया है उतना ही दो । ये डिपार्ट को महाराष्ट्र सरकार ने क्यों बनाया है। कृपया मुझे वेबसाई और और क्या क्या साईट है वो मुझे मत बताना । मुझे प्रिंटाउट निकालकर दे देना ।

8) **Issues raised in the Appeal:**

The Respondent PIO has already provided the information available in the Office vide its Order/Letter dated 22.05.2023. Therefore, there is no need to interfere with the Order passed by the Information Officer.

9) In the light of the above reasoning the Appeal filed by the Appellant is devoid of merits and accordingly dismissed.

10) In case, the Appellant is not satisfied with decision, he may prefer Second Appeal under RTI Act, 2005, within 90 days from the issue of this decision before the State Information Commissioner, 13th Floor, New Administrative Building, Madam Cama Road, Opposite Mantralaya, Mumbai- 400 032.

Decision

Appeal is devoid of merits, since dismissed accordingly.

(Anilkumar Ukey)
First Appellate Authority & Director, Legal (I/c)
Maharashtra Electricity Regulatory Commission

To
Mr. Ramjan Shaikh,
Room No. 125, Ahilyabai Holkar Chawl,
Annabhau Sathe Nagar, In front of P.M.G.P. Colony,
Mumbai-400043.
Mob. No. 9892185445

(Anilkumar Ukey)
First Appellate Authority & Director, Legal (I/c)
Maharashtra Electricity Regulatory Commission